ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI TITLED No: UPBIL04292,
RNI REG.No.:UPBIL/2014/66218, SOCI.REG. No. 561/2013-14
Vol.-5, No.-I, PP-141-143, YEAR JUNE 2016

महिला सशक्तिकरण एवं प्रजनक अधिकार

❑ अर्चना श्रीवास्तव
❑❑ डॉ0 विनोद कुमार

सामान्यता महिलाओं के स ाक्तिकरण का विश्लेषण एवं मूल्यांकन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संदर्भों में किया जाता है। महिलाओं के स ाक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रजनक स्वास्थ्य भी है जो उनके अधिकार की पृष्ठभूमि से संबंधित है। इसके अन्तर्गत महिलाओं के उस अधिकार का उल्लेख है जिसके अंतर्गत उसे अपने बच्चों की संख्या नियंत्रित करने, यौनिक प्रहार से स्वतंत्रता तथा दैहिक हिंसा, अवांछित सामाजिक संबंध, वै यावृत्ति, बल प्रयोग यौन आदि तथा अवांछित चिकित्सीय हस्तक्षेप या भाारीरिक अंगच्छेदन से अपनी रक्षा की स्वतंत्रता है। प्रस्तुत लेख प्रजनक अधिकार के संदर्भ में महिला स ाक्तिकरण के वि लेषण का एक प्रयास है।

महिलाओं के सशक्तिकरण का वि लेषण एवं मूल्यांकन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संदर्भों में किया जाता है। महिलाओं में स ाक्तिकरण से सम्बद्ध महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रजनक स्वास्थ्य हैं जो उनके 'अधिकार की पृष्ठभूमि' से संबंधित हैं। महिला स ाक्तिकरण की अवधारणा सिर्फ 'नारीवादी' से सम्बन्धित वि लेषकों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वरन् इसका महत्व समाज वैज्ञानिकों के लिए भी है, जो समाज के उत्थान को महिलाओं के स ाक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि महिलाओं को पुरूष द्वारा प्रताड़ित एवं दमित अवस्थाओं से मुक्त करते हुए, उन्हें अपने संज्ञान एवं प्रबुद्ध–चेतना के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में एक भाक्तिमान के रूप में स्वयं को संस्थापित करते हुए अपनी भूमिका को प्रतिपादित करने का प्रयास करना चाहिए। इन क्षेत्रों के वि लेषण मात्र से महिलाओं के अधिकार क्षेत्र की बात समाप्त नहीं होती। महिलाओं का स्वास्थ्य एवंमानवीय प्रजनकता आदि ऐसे पक्ष हैं, जिस पर समाज के पितृसत्तात्मक पक्ष का अधिकार होता है और इस निर्णय प्रक्रिया में महिला एक मूकद र्शक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर पाती है।

भारतीय समाज में पुरूष एवं महिला सामाजिक वि ोषताओं के परिणामस्वरूप भिन्न किए गए हैं तथा जैविकीय आधार पर उन्हें विभेदीकृत किया गया है। यौन आधार पर ज्यों ही महिला का चित्रकल्प उभरता है उससे उसके प्राथमिक उत्तरदायित्व में घरेलू श्रम एवं गृहकार्य की जिम्मेदारी समक्ष उपस्थित हो जाती है। पुरूषों का चित्रकल्प उभरते ही उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य एवं नागरिकता से संबंधित कर्तव्यों का बोध होने लगता है। गृह कार्य में लगी महिलाओं की प्रस्थिति साधारतया निम्न होती है और आर्थिक असमानता से ग्रसित होने के कारण वे स्वस्थ्य जीवन से संबंधित आव यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं होती। वे परिवार एवं समाज की परिधि में अपना जीवन–यापन करते हुए विविध प्रकारके अभावबोध से ग्रसित रहती हैं। इस प्रकार की महिलाएं महिला होने के परिणामस्वरूप निर्धनता एवं अन्य प्रकार की सांस्कृतिक आव यकताओं से प्रभावित होती हैं। परिणामस्वरूप वे स्वस्थ्य मानसिकता को विकसित करने में सक्षम नहीं हो पाती।

महिलाओं में सशक्तिकरणः महिलाओं में स ाक्तिकरण से संबंधित अभिवृत्यात्मक उन्मुखता उनके उस ह्रास की अनुभूति का संकेत करता है, जिसे पाने के लिए वे पर्याप्त सजग और स ाक्त होने का प्रयास कर रही हैं, परन्तु भारतीय समाज में व्याप्त

❑ शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र / एम0एल0आई0एस0 (लाइब्रेरी साइंस) सतीश चन्द्र कालेज, बलिया (उ0प्र0) भारत
❑❑ पोस्ट डाक्टोरल फेलो, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ0प्र0) भारत

स ाक्त नहीं होने देना चाहती। स ाक्तिकरण के अन्तर्गत तीन अवयव सम्मिलित होते हैं– नियंत्रण, स्वतंत्रता एवं योग्य बनना।

स्वतंत्रता के अन्तर्गत अधीनीकरण, अभाव–बोझ एवं उत्पीड़न से स्वतंत्रता है, जिसे संस्थानीकृत विधियों से दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। प्रत्येक समाज में अभावबोध अधीनीकरण एवं उत्पीड़ने से ग्रसित महिलाओं का अस्तित्व रहा है। स ाक्तिकरण साधारणतया इन्हीं चीजों से मुक्ति दिलाने का सार्थक प्रयास करता है। इन चीजों से स्वतंत्रता उन्हें भाक्ति ाली बनाने में बहुत अधिक रचनात्मक सहयोग प्रदान नहीं कर सकती वरन् उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में सामर्थ्यवान बनने के लिए अभिप्रेरित कर सकती है। महिलाओं की सार्वजनिक क्रिया–कलापों में बिना किसी संकोच के भागीदारी उनकी दृढ़ मनोद ाा का संकेत प्रस्तुत कर सकती है।

स्वास्थ्य के लिए अधिकार एवं प्रजननता के प्रति दृढ़ मनोद ाा उनमें योग्यता एवं सामर्थ्य का आभास कराने में अपना रचनात्मक योगदान प्रदान कर सकती है। महिलाओं को अपने अधिकारों से बचते रहने से विवाह, यौनिकता, ि ा ाु–पालन, दो बच्चों के मध्य अन्तराल, यौनिक क्रियाओं में निरोध का उपयोग आदि के संदर्भ में उन्हें अपने अधिकारों के रहते हुए भी अभाव बोध का सामना करना पड़ता है। यह कहना अति योक्ति नहीं होगा कि प्रजनक अधिकार महिलाओं में स ाक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणा है।

प्रजनक अधिकार स्त्रियों के नि ि चत अधिकार के अन्तर्गत हैं, जिसका प्रारूप राष्ट्रीय कानून एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार से प्रारूपित है। प्रजनक अधिकारों का उपयोग दम्पति मौलिक अधिकार के रूप में करते हैं तथा अपने बच्चों के बीच समय का अन्तराल, बच्चों के बीच समय का अन्तराल, बच्चों की संख्या के बारे में विचार करते हुए उच्चस्तरीय यौन संबंध एवं उत्तरदायित्व के साथ प्रजनक अधिकार को भी बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में दम्पत्तियों से अपेक्षा की जाती है कि सरकार एवं समुदाय के हित में परिवार नियोजन की नीतियों एवं कार्यक्रमों का अनुसरण करते हुए अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से वहन करें। प्रजनक अधिकार के प्रति अपर्याप्त ज्ञान एवं उससे संबंधित विविध प्रकार की सूचनाओं के प्रति ज्ञान का न होना, मानवीय यौनिकता को प्रभावित करता हे। इस संदर्भ में नारीवादी सामाजिक कार्यकताओं ने अपना रचनात्मक योगदान प्रदान करते हुए महिलाओं को वि ोष रूप से सक्रिय होने का आह्वान किया है।

प्रजनक अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम 'इण्टरने ानल कम्पेन ऑन एबा ान', स्टेरीलाइजे ान एण्ड कान्ट्रॉसेप् ान के अन्तर्गत 'एमस्टर्डम' में जुलाई 1984 में औपचारिक रूप से अस्तित्व में आयी।प्रजनक अधिकार की अवधारणा की जड़ें मानव अधिकार की अवधारणा की जड़ें मानव अधिकार से जुड़ी हैं। इसके अन्तर्गत महिलाओं के उस अधिकार का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत उसे अपने बच्चों की संख्या को नियंत्रित करने का अधिकार है। इस अधिकार से तात्पर्य उसे अपनी यौनिकता एवं प्रजनक क्षमता से परकीकृत करने का नहीं है वरन् उसे एक भौतिक व्यक्ति के रूप में एकात्मकता से है। इस अधिकार का अन्तिम अवयव यौनिक प्रहार से स्वतंत्रता, दैहिक हिंसा, अवांछित अथवा भाोषित सामाजिक संबंध, वै यावृत्ति, बल–प्रयोग, यौन आदि एवं अवांछित चिकित्सीय हस्तक्षेप या भाारीरिक अंगच्छेद से है। इसके अंतर्गत महिला को अपने स्वास्थ्य को संतुलित रखने का अधिकार तथा यौनिक संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता तथा यौन संबंधों को स्थापित करने हेतु अपने सहभागी के चयन की स्वतंत्रता जिससे यौन संबंधी इच्छाओं को स्वतंत्रता के साथ प्रस्तुत किया जा सके।

प्रजनक स्वास्थ्य के अंतर्गत स्वास्थ्य रूपान्तरणः– विकास प्रक्रिया के साथ जनसंख्या

गांधी ने स्वतंत्रता पूर्व 1925 में व्यक्त की थी। प्रसिद्ध समाज ाास्त्री राधाकमल मुकर्जी की जनसंख्या से संबंधित उप कमेटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वाधान में 1940 में गठित हुई। महात्मा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण के अन्तर्गत जन्म–दर से सम्बन्धित नियंत्रण में 'स्व–नियंत्रण' को एक मात्र महत्वपूर्ण विधि के रूप में स्वीकार किया। जनसंख्या एवं जीवन स्तर में व्याप्त असमानता, जनसंख्या के अधिक दबाव का परिणाम है। महात्मा गांधी का ऐसाविचार था कि दे ा की आर्थिक प्रगति एवं जीवन स्तर में उन्नयन तभी सम्भव है, जब नियोजित ढंग से जनसंख्या पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाय। परिवार की प्रसन्नता एवं राष्ट्रीय नियोजन की सफलता तभी सम्भव है जब परिवार कल्याण के विविध कार्यक्रमों को अपनाते हुए बच्चों की संख्या सीमित करने की व्यवस्था की जाय।

इस प्रकार महिलाओं का प्रजनक स्वास्थ्य, मानव अधिकार का एक महत्वपूर्ण अवयव है। इसका संबंध राज्य एवं समाज से जुड़ा है। महिलाओं को प्रमाणित पोषाहार तथा चिकित्सीय मातृत्व रक्ष से सम्बन्धित सुविधाएं एवं पोषाहारी व्यवस्था आदि का उचित संचालन राज्य के अधीन आता है। भारतीय समाज के निर्बल वर्गों में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण वर्ग है, जिसके स्वास्थ्य के विविध पक्षों का ध्यान समाज के द्वारा देना आव यक है। साधारणतया महिलाएं पोषाहार एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में हमारी सामाजिक व्यवस्था में वि ाष्टताओं के कारण बहुत महत्व प्राप्त नहीं कर पातीं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता, जयोत्सना अग्निहोत्री– 'न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, वोमन्स हेल्थ एण्ड एटोनॉमीः फ्रीडम आर डिपेन्डेन्सी', सेज पब्लिके ांस, नई दिल्ली, 2000।
2. कार्लसन, मार्गरेट कैटले– 'पापुले ान पॉलिसीज एण्ड रिप्रोडक्टिव राईट्स एनॉलिसिस इन कॉन्फ्लिट सो ाल चेंज', अंक 24 नं0 3 एवं सितम्बर–दिसम्बर, 1994।
3. महादेवन, कुट्टन (संपा0)– 'रिप्रोडक्टिव हैल्थ ऑफ ह्यूमन राईट इन ए ाया एण्ड अफ्रीकाः ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव', बी0आर0 पब्लि ांग कार्पोरे ान, नई दिल्ली, 2000।
4. ममासुमन, राधिका एवं एस0जे0, जे जीभाव– 'वोमन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन इंडिया', रावत प्रका ान, जयपुर/नई दिल्ली, 2000।
5. रॉबर्ट्स, एच0– 'वोमन हेल्थ एण्ड रिप्रोडक्ा ान', रउटलेज एण्ड केगन पाल लंदन, 1981।

*****